

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|
| <p>तारीख हुक्म</p> | <p align="center">हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज</p> <p align="center">..... बनाम..... <u>राम खिलाडी</u> क-हैया मु.नं. 17/23 (दावा)</p> | <p>नम्बर अहकाम की तारीख</p> |
| | <p><u>20.12.24</u> पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान से वार -2 कक्षाज भागवार्क गई। उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुये। पत्रावली अम्बे समय से लम्बे से लेखित है। वादी को वार-2 निर्देश देने के बावजूद निर्देशों की अस्पष्टता की जा रही है। इसलिए पत्रावली आदेश 9 नियम 3 पर (जहाँ दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होगा है वहाँ वाद का खारिज किया जाता) के तहत प्रदत्त सापधानों का प्रयोग करते हुए पक्षकारान की अहम दावारी व अहम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर अखिल इफ्तार हो।</p> <p align="right">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> | |